

**शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—:**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-66 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:**

**01. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. कैलाश सोनकर उर्फ पप्पू पुत्र फला प्रसाद नि० खटिकन पुरवा शाहपुर थाना इटियाथोक जनपद के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-308/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. लक्ष्मी देवी पत्नी शम्भू नि० अमवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-316/20, 02. पुजारी पुत्र मिट्टू नि० जमुनहा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-317/20, 03. रसीला पत्नी अजय कुमार नि० बन्दरहा थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-318/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. बल्लू पुत्र ननकुन्ने नि० खिरिया बनपुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-264/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**04. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. कुहकू पुत्र राजाराम नि० केशवनगर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-224/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**05. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. रामदीन चौहान पुत्र स्व० हनुमान चौहान नि० अमदही थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 12 शीशी टेका देशी शराब बरामद कर मु०अ०सं०-192/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**06. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. गुट्टन पुत्र उदयराज सोनकर नि० अकेलवा महादेवा थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-268/20, 02. बाबू पुत्र शत्रुधन नि० बेसिया चैन थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-268/20, 03. महेश कुमार सोनकर पुत्र रामरंग नि० रसूलपुर मौजा खोरहंसा थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-370/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**07. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. बोध राम कोरी पुत्र राम बदल कोरी नि० पैड़ी अजब सिंह थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-156/20, 02. बजरंगी पुत्र पुत्ती लाल नि० चाई नकही थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-157/20, 03. नूर मोहम्मद पुत्र शलीम नि० छत्तरपुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-158/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## **08. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. वासुदेव उर्फ शीलू पुत्र जगदम्बा नि० सिकन्दरपुर थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती के कब्जे से 18 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-320/20, 02. आशीष कुमार मिश्रा पुत्र भानु प्रताप नि० मानपुर करोहा बाग थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-321/20, 03. अयोध्या पुत्र लोटन नि० नेतुआ थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-322/20, 04. कलाम पुत्र निजामुद्दीन नि० कूक नगर ग्रन्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-324/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## **09. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. सत्य प्रकाश पासवान पुत्र राम सुन्दर नि० केवलपुरा मौजा पेड़ारन थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-227/20, धारा 60/60(2) आबकारी अधि०, 02. पिन्दू पुत्र बाला प्रसाद नि० नेवादा मौजा कुन्दरुखी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-228/20, 03. कलावती पत्नी राम कुबेर नि० महुअरिया मौजा डड़वा दसवतिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-229/20, 04. मालती पत्नी राम कुबेर नि० महुअरिया मौजा डड़वा दसवतिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-330/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## **10. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. अज्ञाराम सोनकर पुत्र सुखी राम सोनकर नि० खड़ौवा बड़का पुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-376/20, 02. बाबू राम निषाद पुत्र श्रीराम निषाद नि० मजहन पुरवा मौजा नवाबगंज गिर्द थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 60 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-377/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## **11. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. राम करन पुत्र हरि नरायन नि० तेलई पुरवा अचन नगर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-154/20, 02. छोटकऊ पुत्र जोखन नि० पासी पुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-156/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## **12. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. प्रीतम पासी पुत्र डाखन नि० बनुआ थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-252/20, 02. दिनेश शर्मा पुत्र जग प्रसाद शर्मा नि० डेहरास थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-253/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## **13. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. नानमुन पुत्र धर्मराज नि० रामापुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-269/20, 02. सुरेश पुत्र सहदेव नि० सेजिया थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-270/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## **14. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. राजू सोनकर पुत्र गद्दो नि० राधे पुरवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-659/20, 02. नानमुन पुत्र रामधीरज नि० पण्डित पुरवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-662/20, धारा 60/60(2) आबकारी अधि०, 03. अर्जुन पुत्र नन्हकू नि० मेडिकल कालोनी बड़गाँव थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20

ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-663/20, 04. दिलीप गौतम पुत्र हरिराम नि0 काशीराम कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-664/20, 05. आरती पत्नी राम नरायन नि0 मझरेटिया थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-665/20, 06. रीता पत्नी लाल चन्द्र मझरेटिया थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-666/20, सुनीता पत्नी शुकुल नि0 मझरेटिया थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-667/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## 01 अवैध तमंचा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अजय पुत्र संतोष नि0 लेहडी थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकर नगर।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-323/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 06.09.2020 को थाना छपिया के उ0नि0 कन्हैया दीक्षित मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्त को बभनान रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया। अभियुक्त को थाना छपिया में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता—

01. उ0नि0 कन्हैया दीक्षित।
02. का0 दीपक गुप्ता।
03. का0 विक्रान्त यादव।

## हिस्ट्रीशीटर अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रमेश उर्फ इन्टू पुत्र अगनू नि0 बनघुसरा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-225/20, धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 52 ग्राम अल्प्राजोलम नशीला पाउडर।

### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 07.09.2020 को थाना खोड़ारे के उ0नि0 परशुराम सिंह मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को बनघुसरा पुलिया से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 52 ग्राम अल्प्राजोलम नशीला पाउडर बरामद किया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना खोड़ारे में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता—

01. उ0नि0 परशुराम सिंह।
02. हेड का0 श्रवण यादव।

## थाना कौड़िया ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. पटवारी खटिक पुत्र नान्हू खटिक नि० हिसाब तिवारी पुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—159/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 07.09.2020 को थाना खोड़ारे के हेड का० चन्द्रभान गिरि मय हमराह का० विवेक के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को बनगाई चकई मोड से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कौड़िया में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. हेड का० चन्द्रभान गिरि।

02. का० विवेक।

## गैरइरादतन हत्या करने के आरोप में 03 अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना तरबगंज पुलिस ने गैरइरादतन हत्या करने के आरोपी अभियुक्तों—01. रामबदल पुत्र स्व रामअचल, 02. विजय कुमार पुत्र रामसुख चौहान, 03. तेज बहादुर पुत्र रामसुख चौहान निवासीगण लोनियन पुरवा मौजा धनौली थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को थाना तरबगंज में पंजीकृत मु०अ०सं०—260/20, धारा 304.323.504 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 31.07.2020 को जमीनी विवाद के चलते पीडिता गीतादेवी पत्नी दददन नि० लोनियन पुरवा मौजा धनौली थाना तरबगंज जनपद गोण्डा व उसके परिजनों को गाली गुप्ता देते हुए मारा पीटा था। जिससे हनुमान पुत्र रामतेज की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना तरबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें तरबगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर धनौली बन्धा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।